



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 24.10.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ आपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 06 मामलों में कुल 12 अभियुक्तों को कारावास व 28 हजार रूपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित।

विवरण –पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 06 मामलों में कुल 12 अभियुक्तों को कारावास व 28 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग (एनसीआर)- 39/04 धारा 323/504/506 भादवि के 04 अभियुक्तों 1- इन्द्रपाल पुत्र रामदास, 2-रामभजन पुत्र रामदास, 3-गंगा पुत्र रामभजन व 4-किशोर निवासीगण अमवां थाना बिसण्डा जनपद बांदा को कुल 8000/ रूपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
2. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग (एनसीआर)- 144/14 धारा 323/504 भादवि के 02 अभियुक्तों 1-जनार्दन पुत्र करन सिंह व 2-पप्पू पुत्र हुकुम सिंह निवासीगण पवई थाना बिसण्डा जनपद बांदा को कुल 2000/ रूपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
3. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 144/04 धारा 25 आयु अधि0 के अभियुक्त अच्छेलाल पुत्र शिवकुमार निवासी अलौना थाना बिसण्डा जनपद बांदा को जुर्म स्वीकार करने पर जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 3000/ रूपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
4. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 163/01 धारा 25 आयु अधि0 के अभियुक्त राजकरन पुत्र रामऔतार निवासी मिलाथू थाना बिसण्डा जनपद बांदा को जुर्म स्वीकार करने पर जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 3000/ रूपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
5. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग 162/94 धारा 379/411 भादवि व 3/57/70 खनिज अधि0 के अभियुक्त वीरपाल सिंह पुत्र अमान सिंह निवासी ग्राम व थाना खन्ना जनपद हमीरपुर को जुर्म स्वीकार करने पर 3000/ रूपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
6. थाना तिन्दवारी पर पंजीकृत अभियोग 123/92 धारा 324/504/506 भादवि के 03 अभियुक्तों 1-रमजोर सिंह, 2-मुन्ना सिंह व 3-रागा सिंह पुत्रगण रामरतन सिंह निवासीगण बड़ी लोहाई थाना तिन्दवारी जनपद बांदा को कुल 9000/ रूपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।